न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 06 / 2023

अनवान :–

1. मनीराम पुत्र सांवलाराम जाति मेंघवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. भालराम पुत्र सांवलाराम जाति मेधवंशी निवासी वार्ड संख्या 3 रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. ताजुराम पुत्र सांवलाराम जाति मेधवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (फोत)
   2/1 चावली देवी पत्नी ताजुराम 2/2 विनोद कुमार पुत्र ताजुराम 2/3 कालुराम पुत्र ताजुराम 2/4 हेतराम पुत्र ताजुराम 2/5 सुशीला पुत्री ताजुराम 2/6 मोहनी पुत्री ताजुराम जाति मेधवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. दौलतराम पुत्र कृष्णलाल पुत्र सावंलाराम जाति मेधवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. परमेश्वरी देवी पत्नी डुंगरराम जाति मेधवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. रामकुमार पुत्र डुगरराम जाति मेधवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. सिलोचना पुत्री डुगरराम जाति मेधवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
7. जगदीश पुत्र डुगरराम जाति मेधवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. नंदराम पुत्र डुंगरराम जाति मेधवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. मोहनलाल पुत्र डुगरराम जाति मेधवंशी निवासी रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री विजय सिह कडवासरा, अभिभाषक, सायल
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक : 18/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 आरआरडब्लयू के खाता संख्या 85/77 , खाता चन्दो आदि सम्वत 2077–80 के प0न0 121/234 (21) के किला न0 15/1 की 0.228 ,15/2 की 0.025हैक प0न0 122/233(18) के किला न0 21 ता 24 /1.012हैक , प0न0 122/234(22) किला न0 1/1 की 0.228 ,1/2 की 0.025, 2/1 की 0.228 ,2/2 की 0.025, 3/1 की 0.228 ,3/2 की 0.025हैक 4/1 की 0.228 ,4/2 की 0.225 ,7 ता 14 ,17 ता 19 , 23 ता 25 की कुल 4.554हक प0न0 122/235 (31) के किला न0 5/1 की 0.228 ,5/2 की 0.025हैक कुल 6.072हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। [illegible] भूमि में [illegible]र्थी के अधिपत्य व धारण में प0न0 122/234(22) के किला न0 13 ,14 ,17 [illegible]हैक भूमि चली आ रही है परन्तु प्रार्थी को अपने अधिपत्य व घारण की आराजी में [illegible] हेतु कोई स्वीकृ[illegible] रास्ता नही है।

अप्रार्थी के अधिपत्य व धारण में प0[illegible] 122/234(22) के [illegible] न0 24 ,25 व प0न0 122/235(31) किला न0 5/1 की 0.228 ,5/2 की 0.025हैक गैर मुमकिन रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:39:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चला आ रहा है जिसमें प0न0 122/135(31) के किला न0 5 में पूर्वी सीव के साथ दो बिस्वा मौके पर स्वीकृतशुद्वा रास्ता चालू है।

प्रार्थी को अपने अधिवत्य व धारण की आराजी में आवागमन हेतु सबसे छोटा व निकटतम व सुलभ रास्ता प0न0 122/234 (22) के किला न0 25 में दक्षिणी सीव के साथ 16.5 फुट चौडा व 165 फुट लम्बा यानी 0.025हैक्‍ रास्ता उपलब्ध हो सकता है या किला न0 25 में पूर्वी सीव के साथ 16.5 फुट चौडा व 165 फुट लम्बा व उतरी सीव के साथ 16.5 फुट चोडा व 148.5 फुट लम्बा यानी 0.023हैक्‍ व किला न0 24 में उतरी पूर्वि कुटाउ में 16.5 फुट गुण 16.5 फुट यानि 0.003हैक्‍ (किला न0 25 में 0.048हैक्‍ व किला न0 24 में 0.003है) रास्ता उपलब्ध हो सकता है प्रार्थी को उक्त दोनो विकल्प ही निकटतम रास्ते की विकल्प है

प्रार्थी अपने अधिपत्य व धारण की आराजी में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है प्रार्थी की कृषि भूमि में उक्त रास्ता ही निकटतम एवं सुलभ रास्ता है परन्तु प्रार्थी के पास अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिये कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी के हितो पर विपरित असर पडता है प्रार्थी की खडी फसल खराब हो जाती है प्रार्थी को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई मर्तबा कहा की प्रार्थी को उसकी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता दे देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है

अतः प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प0न0 122/234 (22) के किला न0 25 में दक्षिणी सीव के साथ 16.5 फुट चौडा व 165 फुट लम्बा यानी 0.025हैक्‍ रास्ता उपलब्ध हो सकता है या किला न0 25 में पूर्वी सीव के साथ 16.5 फुट चौडा व 165 फुट लम्बा व उतरी सीव के साथ 16.5 फुट चोडा व 148.5 फुट लम्बा यानी 0.023हैक्‍ व किला न0 24 में उतरी पूर्वि कुटाउ में 16.5 फुट गुण 16.5 फुट यानि 0.003हैक्‍ (किला न0 25 में 0.048हैक्‍ व किला न0 24 में 0.003है) रास्ता उपलब्ध हो सकता है दोनो विकल्प में से कोई भी रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण /गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 2/1 से 2/6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया जाकर इकवाल जबाब पेश किया तथा गैरसायल संख्या 2 ,3 ,6 को रजिस्ट्रर्ड सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थीगण /गैरसायल संख्ख्या 4 ,5 ,7 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल /प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की प्रार्थी ने [illegible] धारण का कथन किया गया है जो मिथ्या व मनमर्जी से अंकित [illegible] की भूमि में बिना विधिवत विभाजन हुए कोई भी खातेदार [illegible] स्वामित्व के सम्बध में कथन नही कर सकता है यदि कथन किया जाता है तो वह स[illegible] ही विधि विरूध गलत है वर्तमान में प0न0 122/235 (31) के कला न0 5 में पूर्वी सीव के साथ रास्ता चालू है जो डुगरराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:39:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वारिसान के कब्जा काश्त में है और खाता विभाजन का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष तीन विचाराधीन है जिसमे से एक प्रार्थी ने एव दुसरा वाद शेराराम द्वारा व एक वाद डुगरराम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो खाता विभाजन का है जिसमें अभी विधिवत विभाजन नही हुआ है इसीलिये प्रार्थी को प्रार्थना पपत्र विधि द्वारा पोषणीय नही है प्रार्थी विशिष्ट किलों को अकन कर रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वाद भूमि वर्तमान में सयुक्त खाता में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका विभाजन के वाद न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें विधिवत खाता विभाजन नही हुआ है जब तक खाता विभाजन होकर राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नही हो जाती तब तक सयुक्त खाता की भूमि में विशिष्ट किलों का अंकन करने का प्रार्थी अधिकारी नही है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व अप्रार्थीगण को नही सुना गया है अप्रार्थी की अनुपस्थिति में रिपोर्ट तेयार की गई है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज फरमावे।

जबाब शामिल मिसल किया गया तथा तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट शामिल मिसल की गई।

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड कार्यालय हनुमानगढ में प्रस्तुत किया गया था उक्त कार्यवाही हनुमानगढ न्यायालय में सम्पन्न हुई थी अप्रार्थी भालाराम के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र /टीए/2346/2022/हनुमानगढ अनवानी भालाराम बनाम अविगर्ग पेश किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 09.01.2023 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय से सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी नोहर में स्थानान्तरण करने के आदेश पारित किये गये थे।

प्रकरण स्थनान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष पक्षो को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रोही मौजा चक 4 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या 85/77 की कुल 6.072हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में से प्रार्थी के अधिपत्य व धारण में प0न0 122/234(22) के किला न0 13 ,14 ,17 कुल 0.759हैक्ट भूमि चली आ रही है परन्तु प्रार्थी को अपने अधिपत्य व घारण की आराजी में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशद्वा रास्ता नही है।

अप्रार्थी के अधिपत्य व धारण में प0न0 122/234(22) के किला न0 24 ,25 व प0न0 122/235(31) किला न0 5/1 की 0.228 ,5/2 की 0.025हैक्ट गैर मुमकिन रास्ता चला आ रहा है जिसमें प0न0 122/135(31) के किला न0 5 में पूर्वी सीव के साथ दो बिस्वा मौके पर स्वीकृतशुद्वा रास्ता चालू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:39:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को अपने अधिपत्य व धारण की आराजी में आवागमन हेतु सबसे छोटा व निकटतम व सुलभ रास्ता प0न0 122/234 (22) के किला न0 25 में दक्षिणी सीव के साथ 16.5 फुट चौडा व 165 फुट लम्बा यानी 0.025हैक्ट रास्ता उपलब्ध हो सकता है या किला न0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

25 में पूर्वी सीव के साथ 16.5 फुट चौडा व 165 फुट लम्बा व उतरी सीव के साथ 16.5 फुट चोडा व 148.5 फुट लम्बा यानी 0.023हैक व किला न0 24 में उतरी पूर्वि कुटाउ में 16.5 फुट गुण 16.5 फुट यानि 0.003हैक (किला न0 25 में 0.048हैक व किला न0 24 में 0.003है) रास्ता उपलब्ध हो सकता है प्रार्थी को उक्त दोनो विकल्प ही निकटतम रास्ते की विकल्प है

प्रार्थी अपने अधिपत्य व धारण की आराजी में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है प्रार्थी की कृषि भूमि में उक्त रास्ता ही निकटतम एवं सुलभ रास्ता है परन्तु प्रार्थी के पास अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिये कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी के हितो पर विपरित असर पडता है प्रार्थी की खडी फसल खराब हो जाती है प्रार्थी को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है

अतः प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये उक्त दोनो रास्ता में से कोई भी रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थीगण/गैरसायल 4, 5, 7 ता 9 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थी ने विशिष्ट किले अपने कब्जा व धारण का कथन किया गया है जो मिथ्या व मनमर्जी से अंकित किये गये है क्योकि सयुक्त खाता की भूमि में बिना विधिवत विभाजन हुए कोई भी खातेदार विशिष्ट किलो के स्वामित्व के सम्बध में कथन नही कर सकता है यदि कथन किया जाता है तो वह स्वत ही विधि विरूध गलत है वर्तमान में प0न0 122/235 (31) के कला न0 5 में पूर्वी सीव के साथ रास्ता चालू है जो डुगरराम के वारिसान के कब्जा काश्त में है और खाता विभाजन का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष तीन विचाराधीन है जिसमे से एक प्रार्थी ने एव दुसरा वाद शेराराम द्वारा व एक वाद डुगरराम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो खाता विभाजन का है जिसमें अभी विधिवत विभाजन नही हुआ है इसीलिये प्रार्थी को प्रार्थना पपत्र विधि द्वारा पोषणीय नही है प्रार्थी विशिष्ट किलों को अकन कर रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वाद भूमि वर्तमान में सयुक्त खाता में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका विभाजन के वाद न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें विधिवत खाता विभाजन नही हुआ है जब तक खाता विभाजन होकर राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज नही हो जाती तब तक सयुक्त खाता की भूमि में विशिष्ट किलों का अंकन करने का प्रार्थी अधिकारी नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 4 आरआरडब्ल्यू के खाता संख्या 85/77 की कुल 6.0720हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:39:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी/सायल का कथन है कि उक्त भूमि वह सहखातेदार काश्तकार है एवं उक्त सयुक्त खाते की भूमि में से प्रार्थी के अधिपत्य की रोही मौजा चक 4 आरआरडब्ल्यू के प0न0 122/234(22) के किला न0 13 ,14 ,17 कुल 0.759हैक भूमि होने का कथन कर अपनी अधिपत्य की भूमि में जाने के लिये रास्ता की मांग की गई है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार /उचित प्रतित नही होता क्योकि वाद भूमि वर्तमान में प्रार्थी एव अप्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी /मुश्तरका खाते में दर्ज है जब तक सयुक्त खाते की भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक प्रार्थी सयुक्त खाते की भूमि के विशिष्ट पर अपने कब्जा काश्त में होने अंकित करने का अधिकारी नही है

राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज भूमि के प्रत्येक इचं पर प्रत्येक सह खातेदार का हक हिस्सा होता है जो खाता विभाजन होने के बाद ही तय होता है कि कोन सहखातेदार किस भूमि का हकदार होगा खाता विभाजन होने से पूर्व विशिष्ट किलो का अंकन करने का प्रार्थी अधिकारी नही है।

धारा 251 के प्रावधानों के अनुसार एक काश्तकार जिसका खाता जिससे रास्ता चाहा जा रहा है से पृथक होना आवश्यक है तभी रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकारी है

प्रार्थी ने सयुक्त खाते की भूमि में विशिष्ट किलों को अंकन कर रास्तें की मांग की गई है जो विधिविरूद्व है

वाद भूमि जो सयुक्त खातें में दर्ज है का खाता विभाजन के वाद भी सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन चल रहे है जिसमें अभी विधिवत खाता विभाजन के आदेश पारित नही किये गये हे तथा उक्त वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।

प्रार्थी एव अप्रार्थी के मध्य वाद भूमि के खाता विभाजन कर वाद पेश कर रखा है वादी का दायित्व है वह उक्त दावा में अनुतोश अंकित कर सकता है कि खाता विभाजन रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखा जाकर किया जावे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के द्वारा सयुक्त खातें की भूमि में से अपने अधिपत्य की भूमि का अंकन कर रास्ते की मांग की गई है सयुक्त खाते की भूमि का विधिवत खाता विभाजन होने तक अधिपत्य के आधार पर प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है ना ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिपत्य /कब्जा काश्त के आधार पर रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र पोषणीय है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/9/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:39:57 IST
Reason: SelfAttested